प्रकरण संख्या...../2022
राज्य बनाम **जितेन्द्र कुमार शर्मा**
निर्णय दिनांक– 24.08.2022

न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, (दक्षिण) कम संख्या–1, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : पियूष कुमार मेडतिया, आर.जे.एस.

ईस्तगासा नं. : 116/2022 पुलिस थाना प्रतापनगर

सी.आई.एस. नं– : ...../2022

अनवान : राज्य/**जितेन्द्र कुमार शर्मा**

धाराः– : 185 एम.वी.एक्ट

उपस्थितः–

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता **श्री गोपाल जोशी** अभियुक्त की ओर से।

::निर्णय:: दिनांक–16.08.2022

अभियोजन अधिकारी ने थानाधिकारी पुलिस थाना प्रतापनगर की ओर से ईस्तगासा संख्या **116/2022** मे अभियुक्त **जितेन्द्र कुमार शर्मा पिता नरेन्द्र कुमार शर्मा, उम्र 40 साल, निवासी 106 द्वारकापुरी विस्तार घनेरिया कला थाना भगाना नीमच मध्यप्रदेश** के विरूद्व धारा 185 एम.वी.एक्ट के अपराध का आरोप पत्र पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई।

कार्यालय रिपोर्ट व आरोप पत्र का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरूद्व धारा 185 एम.वी.एक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया बनाना पाया जाने से अभियुक्त के विरूद्व उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर रे.फौ. हो।

अभियुक्त को उक्त धारा के अपराध की विशिष्टियॉ मौखिक रूप से सुनाई व समझाई गई तो अभियुक्त ने सुन व समझ कर अपराध करना स्वीकार किया तथा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वैच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण का आज ही निस्तारण किया जावे।

चूॅकि अभियुक्त ने स्वैच्छया जुर्म स्वीकार कर लिया है, तथा स्वीकृत तथ्यों को पृथक से सिद्व करने की आवश्यक्ता नहीं रह जाती है। अतः अभियुक्त की स्वैच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर **जितेन्द्र कुमार शर्मा पिता नरेन्द्र कुमार शर्मा, उम्र 40 साल, निवासी 106 द्वारकापुरी विस्तार घनेरिया कला थाना भगाना नीमच मध्यप्रदेश** 185 एम.वी.एक्ट के आरोप मे दोषसिद्व किया जाता है।

(पियुष कुमार मेडतिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण
क्र.सं. 1, उदयपुर

दण्ड के प्रश्न पर

अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्त के विरूद्व पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अभियुक्त ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वैच्छया जुर्म स्वीकार किया है। अभियुक्त को अपने कृत्य पर पश्चाताप है। अभियुक्त अत्यन्त

गरीब है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये, अभियुक्त को समुचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण मे अभियुक्त के विरूद्व पूर्व दोषसिद्धि बाबत कोई अभिलेख पत्रावली पर नहीं है तथा इसी आशय का अभियुक्त ने शपथ पत्र पेश किया है, अभियुक्त ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वैच्छया जुर्म स्वीकार किया है। परिवीक्षा का लाभ दिया जाना दण्ड के सुधारात्मक सिद्वांत का एक भाग है। अतः प्रकरण के उक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: दण्डादेश :–

अतः अभियुक्त **जितेन्द्र कुमार शर्मा पिता नरेन्द्र कुमार शर्मा, उम्र 40 साल, निवासी 106 द्वारकापुरी विस्तार घनेरिया कला थाना भगाना नीमच मध्यप्रदेश** के विरूद्व धारा 185 एम.वी.एक्ट के आरोप मे दोषसिद्ध किया जाकर, अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत सरे इजलास सम्यक रूप से प्रताडित किया जाता है, तथा अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5(1) के तहत **600/–अक्षरे छः सौ रूपये** अभियोजन व्यय जमा कराने का आदेश जाता है।

मुताबिक आदेश अभियुक्त को सरे इजलास प्रताडित किया गया तथा अभियुक्त ने **600/–अक्षरे छः सौ रूपये** अभियोजन लागत जरिये रसीद संख्या**–59/25** जमा करवाये, एक प्रति रसीद मुलजिम को दी गई, एक प्रति रसीद शामील पत्रावली हो। चुंकि प्रकरण का निस्तारण हो चुका है, अतः जब्तशुदा वाहन मुताबिक फर्दजब्ति अनुसार बाद मियाद अपील/निगरानी, अपील/निगरानी प्रस्तुत न होने पर नियमानुसार लौटाया जावे, इस बाबत सम्बन्धित को तहरीर जारी हो।

पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(पियुष कुमार मेडतिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण
क.सं. 1, उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को लिखाया जाकर, मुद्रांकित व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पियुष कुमार मेडतिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण
क.सं. 1, उदयपुर